महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University – Govt. of Uttar Pradesh; **NAAC A++ Accredited**; ISO 9001:2015 & 140001: 2015 Certified

एम.जे.पी.रू.वि./एकेडिमिक/2026/248 दिनांक 17.06.2026

सेवा में,

1) प्राचार्य/प्राचार्या,
ज्योति कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट साइन्स
एण्ड टेक्नोलॉजी,
बरेली।

2) प्राचार्य/प्राचार्या,
दमयन्ती राज आनन्द राजकीय
महाविद्यालय,
बिसौली, बदायूँ।

विषय– प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में AEDPs (Apprenticeship Embedded Degree Program) संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत हैं, शासन द्वारा ए.ई.डी.पी. पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आपके महाविद्यालय का चयन किया गया है। इस सम्बन्ध में दिनांक 17 जून 2026 को आयोजित ऑनलाइन बैठक में हुई चर्चा एवं निर्देशानुसार आपसे अपेक्षित है कि शासन के निर्देशों के अनुरूप अपने महाविद्यालय में ए.ई.डी.पी. पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता हेतु यथाशीघ्र आवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

साथ ही, बैठक में आपके द्वारा उठाए गए बिन्दुओं के सम्बन्ध में बैठक में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए उसकी एक प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा विषय पाठ्यक्रम समिति के माध्यम से निम्नलिखित ए.ई.डी.पी. पाठ्यक्रम अनुमोदित किये जा चुके हैं:–

1. बी०कॉम० (बैंकिंग, वित्तीय सेवायें और बीमा)
2. बी०कॉम० (रिटेल, आपरेशन मैनेजमेंट)
3. बी०कॉम० (लॉजिस्टिक्स)
4. बी०एससी० (टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन)
5. बी0बी0ए0 (इन रिटेल आपरेशंस)
6. बी0बी0ए0 हैल्थ केअर मेनेजमेंट

अतः शासन की मंशानुरूप उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिससे समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

कुलसचिव
17/6/26

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. शिक्षा निदेशक (उ0शि0) उ0प्र0 उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली परिक्षेत्र।
4. निदेशक, सी०डी०सी०/डीन, अकादमिक।
5. डॉ0 विशाल सक्सेना, नोडल अधिकारी AEDPs पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालय परिसर।
6. मीडिया प्रभारी।
7. निजी सचिव कुलपति।
8. व्यैक्तिक सहायक, कुलसचिव।

उपकुलसचिव